रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-04022022-233138
CG-GJ-E-04022022-233138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] **नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2022/माघ 15, 1943**
No. 73] **NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2022/MAGHA 15, 1943**

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 2 फरवरी, 2022

सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./022.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण ('प्राधिकरण'), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिनटेक प्रोत्साहन स्कीम अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. उद्देश्य

(1) इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र(आई.एफ.एस.सी.) में फिनटेक क्रियाकलापों को उनकी पात्रता और उन निबंधनों और शर्तों को, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, पूरा करने के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुदान(अनुदानों) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके, जैसा स्कीम में विनिर्दिष्ट है, समस्त अधिकार-क्षेत्रों में उन्नत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों(आई.एफ.सी.) के सदृश एक विश्वस्तरीय फिनटेक हब की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।

(2) यह स्कीम निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगी –

क) ऐसे देशी फिनटेक, जो विदेशी बाजार में पहुंच की ईप्सा कर रहे हैं;

ख) ऐसे देशी फिनटेक, जो आई.एफ.एस.सी.ए. से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की ईप्सा कर रहे हैं;

ग) ऐसे विदेशी फिनटेक, जो भारत में आई.एफ.एस.सी. तक पहुंच की और प्राधिकरण के विनियमनकारी ढांचे के भीतर कार्य करने की ईप्सा कर रहे हैं;

घ) ऐसे विदेशी फिनटेक, जो अंतर-प्रचालनीय विनियामक सैंडबॉक्स (इंटर-ऑपरेबल रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स)(आई.ओ.आर.एस.) ढांचे के अंतर्गत देशी बाजार तक पहुंच की ईप्सा कर रहे हैं;

ङ) ऐसे देशी फिनटेक, जो या तो प्राधिकार-पत्र या रजिस्ट्रीकरण द्वारा या विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से आई.एफ.एस.सी. तक कारबार का विस्तार कर रहे हैं।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण(फिनटेक प्रोत्साहन) स्कीम, 2022 है।

(2) यह स्कीम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और यह प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए प्रचालनाधीन होगी।

3. परिभाषाएं

(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें नीचे दिए गए हैं और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा:-

i) 'अधिनियम' से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019(2019 का 50) है);

ii) 'एक्सेलेरेटर' (गतिवर्धक) या 'कोहॉर्ट' (सहयोग) से कंपनियों या इनक्यूबेटरों द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे कारबार संबंधी कार्यक्रम अभिप्रेत हैं, जो शिक्षा, परामर्श आदि के माध्यम से प्राथमिक अवस्था वाली, विकासोन्मुखी फिनटेक कंपनियों की सहायता करते हैं;

iii) 'आवेदक' से ऐसी पात्र फिनटेक इकाई अभिप्रेत है, जो इस स्कीम के अधीन अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करती है;

iv) 'देशी फिनटेक इकाई' से कोई ऐसा निवासी व्यष्टि या कोई ऐसी इकाई, जिसके अंतर्गत आई.एफ.एस.सी.(इस स्कीम के प्रयोजनार्थ) भी है, अभिप्रेत है, जो भारत में निगमित या स्थापित है और समुचित ढांचे या विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनियमित है;

v) 'मूल्यांकन समिति' से इस स्कीम के अधीन किए गए आवेदनों का मूल्यांकन और प्रक्रमण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा स्थापित की गई कोई समिति अभिप्रेत है;

vi) 'वित्तीय संस्था' का वही अर्थ है, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उसका है;

vii) 'फिनटेक' से वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के परिदान में सहायता और सुविधा प्रदान करने वाला तकनीकी रूप से समर्थित अभिनव समाधान अभिप्रेत है;

viii) 'फिनटेक इकाई' या 'एफ.ई.' से कोई देशी फिनटेक इकाई या कोई विदेशी फिनटेक इकाई अभिप्रेत है;

ix) 'विदेशी फिनटेक इकाई' से भारत के बाहर से कोई ऐसी अनिवासी इकाई अभिप्रेत है, जो आई.एफ.एस.सी. में फिनटेक से संबंधित क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती है;

x) 'प्रोत्साहन' से फिनटेक इकाइयों को, इस स्कीम के निबंधनों और शर्तों के अधीन दिया जाने वाला धनीय अनुदान अभिप्रेत है;

xi) 'अभिनव सैंडबॉक्स' से ऐसा परीक्षण परिवेश अभिप्रेत है, जहां फिनटेक इकाइयां, अपने ऐसे विचारों और समाधानों का परीक्षण लाइव बाजार से अलग होकर कर सकते हैं, जो आई.एफ.एस.सी. में प्रचालनाधीन वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर आई.एफ.एस.सी. में पेश किए गए वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं को मूल्यवान बना सकते हैं;

xii) 'आंतरिक समिति' से इस स्कीम के अधीन दिए गए अनुदानों के अंतिम उपयोग की मानिटरिंग करने के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित की गई समिति अभिप्रेत है;

xiii) 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र' या 'आई.एफ.एस.सी.' का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है;

xiv) 'अंतर-प्रचालनीय विनियामक सैंडबाक्स' या 'आई.ओ.आर.एस.' से एक से अधिक देशी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के विनियमनकारी क्षेत्र के भीतर आने वाले अभिनव हाइब्रिड वित्तीय उत्पादों/सेवाओं का आई.ओ.आर.एस. परीक्षण अभिप्रेत है;

xv) 'न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद' या 'एम.वी.पी.' से प्रारंभिक उपयोक्ताओं द्वारा उत्पाद के भावी विकास के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए न्यूनतम विशेषताओं वाले किसी उत्पाद का कोई रूप अभिप्रेत है;

xvi) 'संकल्पना का सबूत' या 'पी.ओ.सी.' से किसी संकल्पना, सिद्धांत या विचार का, उसकी साध्यता और क्षमता के बारे में कोई प्रदर्शन अभिप्रेत है;

xvii) 'प्रोटोटाइप' से किसी संकल्पना या प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए निर्मित किसी उत्पाद का प्रारंभिक नमूना(सैम्पल), मॉडल या विमोचन अभिप्रेत है;

xviii) 'विनियामक सैंडबाक्स' से किसी सीमित समय-सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के एक सीमित समूह वाला एक ऐसा जीवंत परिवेश अभिप्रेत है, जिसमें आई.एफ.एस.सी. में पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं में प्रचालनाधीन इकाइयों को, फिनटेक विचारों और समाधानों पर प्रयोग करने के लिए कतिपय विनियमनकारी उपबंधों के लागू होने से कतिपय छूटें/शिथिलताएं प्रदान की जाएंगी ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु लागू विधियों में और विशेषकर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या, यथास्थिति, किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनर्अधिनियमिति में क्रमशः उनके हैं ।

4. पात्रता

(1) ऐसा आवेदक, जो नीचे उल्लिखित किसी भी शर्त को पूरा करता है, इस स्कीम के अधीन प्रोत्साहन का फायदा लेने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा:

i) जहां आवेदक भारत से है:

क) डी.पी.आई.आई.टी.(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के पास फिनटेक से संबंधित स्टार्ट-अप इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई इकाई;

ख) ऐसी इकाई, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के रूप में या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी(एल.एल.पी.) के रूप में या आई.एफ.एस.सी. में किसी भारतीय कंपनी या एल.एल.पी. की शाखा के रूप में निगमित है;

ग) ऐसा व्यष्टि, जो एक निवासी नागरिक है; या

घ) ऐसी इकाई, जो आर.बी.आई., सेबी, आई.आर.डी.ए.आई. या पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा विनियमित पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रही है ।

ii) जहां आवेदक भारत के बाहर से है – कोई अनिवासी व्यष्टि या कोई एफ.ए.टी.एफ. सम्मत देशों/अधिकार-क्षेत्रों से कोई इकाई:

परन्तु जहां आवेदक भारत के बाहर निगमित कोई निगमित निकाय है वहां आवेदक में अनिवासी व्यष्टियों की शेयरधारिता सदैव 51 प्रतिशत से अधिक होगी।

(2) आवेदक अपने प्रमुख उत्पाद या सेवा, कारबार मॉडल, वितरण मॉडल या कार्य-पद्धति में उस समस्या का समाधान करने के लिए, जिसे लक्ष्यित किया जा रहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का वचन देता है ।

(3) ऐसी इकाई, जिसने उसी परियोजना, व्याप्ति और क्रियाकलापों के लिए इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्कीमों से कोई अनुदान प्राप्त किया है, इस स्कीम के अधीन आवेदन करने की पात्र नहीं होगी:

परन्तु प्रतिस्पर्धाओं और ग्रैंड चैलेंज(बड़ी चुनौतियों) से प्राप्त इनाम की धनराशि, संस्थापक के मासिक भत्ते आदि को इससे पूर्व प्राप्त अनुदान के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

(4) यदि ऐसी एक से अधिक परियोजनाएं या अभिनव संघटक हैं, जिनमें से प्रत्येक अर्हक मानदंड को पूरा करता है, तो आवेदक से पृथक् प्रस्थापनाएं प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा और उन्हें पृथक् परियोजनाएं माना जाएगा और पृथक्-पृथक् मूल्यांकित और प्रोत्साहित किया जाएगा ।

5. प्रोत्साहन स्कीम की परिधि

इस स्कीम के अधीन अनुध्यात अनुदान ऐसी पात्र एफ.ई. को उपलब्ध होंगे:

(1) जो प्राधिकरण के विनियमनकारी या अभिनव सैंडबाक्स का भाग हैं;

(2) जो प्राधिकरण द्वारा समर्थित एक्सेलेरेटरों या कोहॉर्टों या विशेष कार्यक्रमों में भाग लेते हैं; या

(3) जिन्हें इकाई(इकाइयों) द्वारा, जिनके अंतर्गत प्राधिकरण के साथ सामान्य हित के अभिलक्षित क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन(एम.ओ.यू.) या सहयोग या विशेष ठहराव रखने वाले विनियामक या पर्यवेक्षी निकाय भी हैं, निर्देशित किया जाता है ।

6. पात्र आवेदकों के लिए, उन निबंधनों और शर्तों को, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, पूरा करने के अधीन रहते हुए, प्रोत्साहन के प्रकार

(1) फिनटेक स्टार्ट-अप अनुदान – इस अनुदान का उपयोग नए फिनटेक विचार या समाधान वाले स्टार्ट-अप के लिए किसी उत्पाद या किसी सेवा का विकास करने और उससे संबंधित बाजार तक पहुंच की पहल करने के लिए किया जाएगा । कोई पात्र एफ.ई. इस स्कीम के अधीन 15 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकेगी । इस अनुदान से उत्पाद के विकास, जनशक्ति लागत, आई.टी. लागत आदि मद्धे हुए व्ययों को पूरा किया जाना प्रत्याशित है । इस प्रक्रम पर, केन्द्र-बिन्दु, विचार को एम.वी.पी. में संपरिवर्तित करना ।

(2) **संकल्पना का सबूत(पी.ओ.सी.) अनुदान –** इस अनुदान का उपयोग किसी प्रारंभिक या परिपक्व एफ.ई. द्वारा देशी बाजार या विदेशों में पी.ओ.सी. के संचालन के प्रयोजनार्थ किया जाएगा । किसी पात्र एफ.ई. को या तो भारतीय बाजारों में या विदेशों में पी.ओ.सी. का संचालन करने के प्रयोजनार्थ 50 लाख रूपए तक की रकम दी जा सकेगी और यह जनशक्ति लागत, आई.टी. लागत, विपणन, प्रोटोटाइप लागत आदि के मद्धे हुए व्ययों को पूरा करेगी ।

(3) **सैंडबॉक्स अनुदान –** इस अनुदान का उपयोग एफ.ई. द्वारा किसी सैंडबॉक्स में अभिनव उत्पादों या सेवाओं पर प्रयोग करने के लिए किया जाएगा । किसी पात्र एफ.ई. को, साफ्टवेयर का विकास करने, प्रोटोटाइप तैयार करने, जनशक्ति लागत, तकनीक, आई.टी से संबंधित परामर्श करने, प्रशासनिक लागत, आदि को पूरा करने के लिए 30 लाख रुपए तक की रकम दी जा सकेगी ।

(4) **ग्रीन फिनटेक अनुदान –** इस अनुदान का उपयोग ऐसे समाधानों का विकास करने के लिए किया जाएगा, जो संधारणीय वित्त और संधार्यता से जुडे वित्त को, जिसके अंतर्गत 'परिवेशी, सामाजिक और प्रशासनिक(ई.एस.जी.)' निवेश भी हैं, सुकर बनाते हैं । ऐसे किसी एफ.ई. को, जिसका केन्द्र-बिन्दु संधारणीय वित्त है, 75 लाख रूपए तक के अनुदान की रकम दी जा सकेगी ।

(5) **एक्सेलेरेटर अनुदान –** इस अनुदान का उपयोग आई.एफ.एस.सी. में एक्सेलेरेटरों को सहायता देने के लिए किया जाएगा । किसी पात्र एक्सेलेरेटर को सक्षमता निर्माण, परामर्शियों के चारों ओर निर्माण सामर्थ्य, निवेशक लाने, अधिक परियोजनाएं या पी.ओ.सी., टाइ-अप लाने आदि के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान की रकम दी जा सकेगी ।

(6) **सूचीबद्ध करने में सहायता अनुदान –** इस अनुदान का उपयोग, ऐसी देशी एफ.ई. को, जो प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कराने की आकांक्षा रखती हैं, सहायता देने के लिए किया जाएगा । किसी पात्र घरेलू एफ.ई. को, रोड शो, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और सूचीबद्ध कराने से संबंधित अपेक्षाओं आदि से संबंधित व्ययों को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपए तक की रकम दी जा सकेगी ।

7. स्कीम का निष्पादन

(1) प्रक्रिया

i) आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसे दस्तावेज़ और फीस संलग्न करते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, आवेदन करेगा ।

ii) प्राधिकरण, आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन की संवीक्षा करेगा और पात्रता, विनियामक अपेक्षाओं का, जिसके अंतर्गत के.वाई.सी.-ए.एम.एल. दिशानिर्देश भी है, अनुपालन, प्रकटन मानदंडों, कारपोरेट प्रशासन मानदंडों और ऐसे अन्य मानदंडों की बाबत, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् तत्परता बरतेगा ।

iii) आवेदन का मूल्यांकन, मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा, जो अपनी टिप्पणियों और प्रेक्षणों सहित अपनी सिफारिश प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी ।

iv) प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों से संतुष्ट होने पर, मंजूरी पत्र जारी कर सकेगा, जिसमें अनुदान के ऐसे विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट हों जिनमें एफ.ई. से ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ ऐसे करार करने की अपेक्षा की गई हो, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे ।

v) आंतरिक समिति संवितरण पूर्व और संवितरण-पश्चात् की शर्तों, अनुपालन, अनुदान के अंतिम उपयोग, प्रगति, मील-पत्थर (माइल-स्टोन) की उपलब्धियों को मानिटर करेगी और ऐसे किसी अन्य कृत्य का पालन करेगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे ।

vi) संवितरण, मंजूरी पत्र में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के संतोषप्रद अनुपालन और अपेक्षित मील-पत्थर पूरा करने के अधीन होगा ।

(2). अनुदान की मंजूरी के लिए शर्तें

i) एफ.ई. के लिए अपने उस प्रतिनिधि के पक्ष में, जो प्राधिकरण के साथ परस्पर-क्रिया कर रहा होगा, समुचित प्राधिकार-पत्र और शक्ति का प्रत्यायोजन करने की आवश्यकता होगी । एफ.ई. विनियामक अपेक्षीओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और वह अपने प्रतिनिधि के सभी कार्यों या लोपों के लिए उत्तरदायी होगा ।

ii) एफ.ई. या उसका परियोजना दल या उसका कार्यान्वयन दल सैंडबॉक्स या एक्सेलेरेटर अवधि के दौरान आई.एफ.एस.सी. से काम करेगा ।

iii) सैंडबॉक्स/एक्सेलेरेटर/कोहॉर्ट/विशेष कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, एफ.ई. एक इकाई को आई.एफ.एस.सी. में निगमित करेगा और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति/प्राधिकार-पत्र की, यदि लागू हो, ईप्सा करेगा ।

iv) एफ.ई. इस स्कीम के अधीन अनुदान का उपयोग करके किसी सफल समाधान को तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी अन्य अधिकार-क्षेत्र में क्रियान्वित न करने का वचन देगा ।

v) यदि एफ.ई. किसी अनुदान की मंजूरी की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहता है तो एफ.ई. उस अनुदान को 8 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज सहित वापस करने का वचन देगा ।

(3) अनुदानों का संवितरण

i) अनुदान का संवितरण, एफ.ई. द्वारा स्थापित मील-पत्थरों से जुड़ा होगा । मील-पत्थरों का विनिश्चय आंतरिक समिति के परामर्श से किया जाएगा ।

ii) संवितरण, आवश्यक दस्तावेज़, बीजक, तकनीकी रिपोर्टें, आदि प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति के आधार पर किया जाएगा । प्राधिकरण, साधारणतया, समस्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से तीस कार्य दिवस के भीतर संवितरण को निर्मुक्त करेगा ।

iii) इस स्कीम के अधीन केवल आपवादिक परिस्थितियों में अग्रिम संवितरण पर विचार किया जा सकेगा ।

8. स्कीम के दिशानिर्देश

प्राधिकरण, इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

9. प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

प्राधिकरण, इस स्कीम के कार्यान्वयन और उससे आनुषंगिक विषयों के प्रयोजनों के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं आदि विनिर्दिष्ट कर सकेगा और परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निदेशों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा ।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./630/2021-22]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 2nd February, 2022

No. IFSCA/2021-22/GN/022.—In exercise of the power under section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority (‘Authority’) hereby notifies the FinTech Incentive Scheme:

1. Objective

(1) The principal objective of the scheme is to promote the establishment of a world class FinTech Hub, comparable with those located in advanced International Financial Centers (IFCs) across jurisdictions, at International Financial Services Centre (IFSC) in India by providing financial support to FinTech activities in the form of specific grant(s) as specified in the scheme, based on their eligibility and fulfilment of terms and conditions as may be specified.

(2) This scheme shall be open to -

a) Domestic FinTechs seeking access to overseas markets;

b) Domestic FinTechs seeking listing on IFSCA recognised stock exchanges;

c) Foreign FinTechs seeking market access to IFSCs in India and work within the Authority's regulatory framework;

d) Foreign FinTechs seeking access to domestic market under Inter-Operable Regulatory Sandbox (IORS) framework;

e) Domestic FinTechs extending business to the IFSCs either by way of authorisation or registration or through the regulatory sandbox.

2. Short title and commencement

(1) The scheme may be called the International Financial Services Centres Authority (FinTech Incentive) Scheme, 2022.

(2) This scheme shall come into force on the date of its publication in the official gazette and shall be operational for an initial period of three years from the date of commencement.

3. Definitions

(1) In this scheme, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meaning as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly: —

i) 'Act' means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

ii) 'Accelerator' or 'Cohort' means business programmes run by companies or incubators that supports early-stage, growth-driven FinTech companies through education, mentorship, etc.;

iii) 'Applicant' means an eligible Fintech Entity who makes an application to the Authority for receiving grant under this Scheme;

iv) 'Domestic FinTech Entity' means a resident individual or an entity incorporated or established in India including in the IFSCs (for the purpose of this Scheme) and regulated by the Authority under the appropriate framework or regulations;

v) 'Evaluation Committee' means a committee set up by the Authority for evaluation and processing of applications made under this Scheme;

vi) 'Financial Institution' shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

vii) 'FinTech' means a technologically enabled innovative solution aiding or assisting Financial Institutions in delivery of Financial Products or Financial Services;

viii) 'FinTech Entity' or 'FE' means a Domestic FinTech Entity or a Foreign FinTech Entity;

ix) 'Foreign FinTech Entity' means a non-resident entity from outside India which is regulated by the Authority to undertake FinTech related activities in the IFSC;

x) 'Incentive' means monetary grant given to the FinTech Entities under the terms and conditions of this Scheme;

xi) 'Innovation Sandbox' means a testing environment where FinTech Entities can test their ideas and solutions in isolation from the live market, which may add value to financial products or financial services offered in IFSC, based on data made available to them by the Financial Institutions operating in IFSC;

xii) 'Internal Committee' means the committee constituted by the Authority for monitoring the end use of grants given under this Scheme;

xiii) 'International Financial Services Centre' or 'IFSC' shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

xiv) 'Inter-Operable Regulatory Sandbox' or 'IORS' means IORS testing of innovative hybrid financial products / services falling within the regulatory ambit of more than one domestic financial sector regulator;

xv) 'Minimum Viable Product' or 'MVP' means a version of a product with minimum features for providing feedback for future product development by the early users;

xvi) 'Proof-of-Concept' or 'PoC' means a demonstration of a concept, principle or idea about its feasibility and potential;

xvii) 'Prototype' means an early sample, model, or release of a product built to test a concept or process;

xviii) 'Regulatory Sandbox' means a live environment with a limited set of real customers for a limited timeframe wherein entities operating in the capital market, banking, insurance and other financial services space in IFSC shall be granted certain exemptions / relaxations from applicability of certain regulatory provisions for experimenting FinTech ideas and solutions.

(2) Words and expressions used and not defined in this scheme but defined in the applicable Laws, and in particular, under the Act, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

4. Eligibility

(1) An Applicant, satisfying any of the conditions mentioned below, shall be eligible to make an application for availing incentive under this Scheme:

i) Where the Applicant is from India:

a) An entity registered with DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) as a start-up entity relating to FinTech;

b) An entity incorporated as a company under the Companies Act 2013, or as a Limited liability Partnership (LLP) under the Limited liability Partnership Act, 2008 or a 'Branch' of an Indian company or LLP in IFSC;

c) An Individual who is a resident citizen; or

d) An entity working directly or indirectly in the ecosystem regulated by RBI, SEBI, IRDAI or PFRDA.

ii) Where the Applicant is from Outside India - A Non-resident Individual or an entity from FATF compliant countries/jurisdictions;

Provided that where the applicant is a body corporate incorporated outside India, the shareholding of non-resident Individuals in the applicant, shall, at all times, be more than 51%.

(2) The Applicant undertakes to use technology in its core product or service, business model, distribution model or methodology to solve the problem being targeted.

(3) An entity who has received any grant earlier from the Central or State Government schemes for the same project scope and activities shall not be eligible to apply under this Scheme.

Provided that the prize money from competitions and grand-challenges, founder monthly allowance, etc. shall not be considered as grant received earlier.

(4) Applicant shall be required to submit separate proposals, in case there is more than one projects or innovative components each of which fits into the qualifying criteria and they shall be treated as separate projects and be evaluated and incentivised separately.

5. Scope of the Incentive Scheme

The Grants contemplated under this scheme shall be available to eligible FEs:

(1) who are part of the Authority's Regulatory or Innovative Sandbox;

(2) who participate in the Authority's supported Accelerators or Cohorts or Special Programs; or

(3) who are referred to by the entity(ies) including regulatory or supervisory bodies having Memorandum of Understanding (MoU) or collaboration or special arrangement with the Authority for strengthening identified area of common interest.

6. Types of Incentives for eligible applicants subject to meeting the terms and conditions as may be specified

(1) **FinTech Start-up grant**- This grant shall be utilized for developing a product or a service and related 'go-to-market' initiatives for a start-up with a novel FinTech idea or solution. An eligible FE may receive up to Rs. 15 lacs under this scheme. The grant is expected to meet expenses towards product development, manpower costs, IT costs, etc. At this stage the focus is on converting the idea into an MVP.

(2) **Proof of Concept (PoC) grant**- This grant shall be utilized for the purpose of conducting a PoC by an early or mature FE in domestic market or overseas. An amount of up to Rs. 50 lacs may be provided to an eligible FE for the purpose of conducting a PoC either in Indian markets or overseas and shall cover expenses towards manpower costs, IT costs, marketing, prototyping costs etc.

(3) **Sand-box grant**- This grant shall be utilized by FEs to experiment with innovative products or services in a sandbox. An amount of upto Rs. 30 lacs may be provided to an eligible FE to cover the costs of developing a software, prototyping, manpower costs, consulting, tech-related, IT related, admin costs, etc.

(4) **Green FinTech Grant**- This grant shall be utilized towards developing solutions facilitating sustainable finance and sustainability linked finance, including 'Environmental, Social and Governance (ESG)' investments. An amount of up to Rs. 75 lacs of grant may be provided to an eligible FE focussed on sustainable finance.

(5) **Accelerator Grant**- This grant shall be utilized for supporting accelerators at the IFSC. An amount of up to Rs. 10 lacs of grant may be provided to an eligible Accelerator applicant for capacity building, build capabilities around mentors, bringing investors, bringing more projects or PoC, tie ups, etc.

(6) **Listing Support Grant** - The grant shall be utilized for supporting Domestic FEs aspiring to go for listing on stock exchanges recognised by the Authority. An amount of up to Rs. 15 lacs may be provided to an eligible Domestic FE for meeting expenses pertaining to road shows, international travel and listing requirements, etc.

7. Execution of the Scheme

(1) Process

i) The Applicant shall make the application in the form and manner, containing such particulars and accompanied by such documents and fees, as may be specified by the Authority.

ii) On receipt of application, the Authority shall scrutinize the application and conduct due diligence with respect to eligibility, compliance with regulatory requirements including KYC-AML guidelines, disclosure norms, corporate governance norms and any other criteria as may be specified by the Authority.

iii) The application shall be evaluated by an Evaluation Committee which shall submit its recommendation along with comments and observations, to the Authority.

iv) The Authority on being satisfied with the recommendations of the Evaluation Committee, may issue a sanction letter containing specific terms & conditions of the grant, requiring the FE to enter into such agreements, with such terms and conditions, as may be specified by the Authority.

v) The Internal Committee shall monitor pre and post disbursement conditions, compliance, end use of grant, progress, milestone achievements and shall perform any other function as specified by the Authority.

vi) Disbursement shall be made subject to the satisfactory compliance of the terms and conditions mentioned in the sanction letter and achieving requisite milestones.

(2) Conditions for Sanction of grant

i) FE shall need proper authorization and delegation of power in favour of its representative who shall be interacting with the Authority. The FE shall ensure compliance with regulatory requirements and be responsible for all the acts of omission or commission of its representative.

ii) The FE or its project team or its implementation team shall operate from IFSC during the sandbox or accelerator period.

iii) On successful completion of the Sandbox/accelerator/cohort/special program, the FE shall incorporate an entity at IFSC and seek registration/license/authorisation etc. under the Act, if applicable.

iv) The FE shall undertake not to implement a successful solution using the grant under this scheme in any other jurisdiction for a period of 3 years.

v) If the FE fails to meet any conditions of the sanction of a grant, the FE shall undertake to return the grant to the Authority along with simple interest at the rate of 8% per annum.

(3) Disbursement of Grants

i) Disbursement of the grant shall be linked to milestones set for the FE. The milestones shall be decided in consultation with the Internal Committee.

ii) The disbursement shall be done on 'reimbursement' basis after submission of necessary documents, invoices, technical reports, etc. The Authority shall normally release the disbursement within 30 working days of submission of all the documents.

iii) Advance under the scheme may be considered only under exceptional circumstances.

8. Guidelines of the Scheme

The Authority may specify detailed guidelines for the implementation of this Scheme.

9. Power to specify procedures and issue clarifications

For the purposes of implementation of this Scheme and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes etc. or issue necessary clarifications by way of circulars or guidelines or directions.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty. /630/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.04 22:21:54 +05'30'